

प्राचार्य का कार्यालय  
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर

कार्यालय आदेश

विदित हो कि वर्तमान में कोविड-19 का संक्रमण अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है और ऐसे परिस्थिति में भी कई सारे चिकित्सक/शिक्षक/नर्स/पारा मेडिकल स्टाफ/अन्य स्टाफ नियमित रूप से ससमय अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं रहते हैं तथा लेट लतीफी उनकी दिनचर्या बन गई है।

ऐसे में कोविड कोर कमिटी की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में इस चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में कार्यरत सभी चिकित्सक/शिक्षक/नर्स/पारा मेडिकल स्टाफ/अन्य स्टाफ का माह, मई, 2021 से वेतन/मानदेय का भुगतान संबंधित कार्यालय से तभी किया जाएगा, जब कोविड कोर कमिटी की अनुशंसा प्राप्त होगी। कोविड कोर कमिटी की अनुशंसा के बिना संबंधित कार्यालय से वेतन/मानदेय भुगतान किए जाने की स्थिति में कार्यालय प्रधान दोषी माने जायेंगे तथा इस पर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी।

  
5/5/21

प्राचार्य


श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक:- 676/21

दिनांक:- 5/5/2021

प्रतिलिपि:-

- 1) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3) अधीक्षक/उपाधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- 4) कोविड कोर कमिटी में नामित सभी पदाधिकारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- 5) विभागाध्यक्ष, मेडिसीन विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- 6) नोडल पदाधिकारी, कोविड-19, मेडिसीन विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- 7) प्रभारी प्राध्यापक प्रशासन/Estate Officer, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 8) बरसर/लेखापाल, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- 9) कॉलेज वेबसाईट।

  
5/5/21

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर